

फर्द अहकाम

र्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

शशाजीतसिंह विपक्षी मनोहरसिंह

कदमा वाक पत्रावली संख्या 96/2 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

17/6/25 पत्रावली पेज हुई। अधि. अधि. उभयपक्ष 34 प्रतिवादी नं. 1307 के अधि. द्वारा लाई गई एन. 2 बारिज कि जाती है। एवं पर्याप्त अवसर दिये जाते पर भी पत्रावली पेज नहीं करते से पत्रावली अवसर को कि पत्रा जाता है। ए. 21.1305, 6 को निम्न अवसर आवाक दिलवाई गई। अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक नया कार्यवाही न्याय में लाई जाती है। पत्रावली वास्तु तलवी नं. 5,7 दिनांक 19/8/25 को पेज हो।

19/8/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी नं. 5,7 के लिये मौका चाहते है। अतः अतः 05 की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 14/10/25 को पेश हो।
M.
(SDO) मावली

14/10/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी नं. 5,7 के लिये मौका चाहते है। अतः अतः 05 की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 18/12/25 को पेश हो।
M.
(SDO) मावली

18/12/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी नं. 5,7 के लिये मौका चाहते है। अतः अतः 05 की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 26/2/26 को पेश हो।
M.
(SDO) मावली

26/2/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उच.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 21/4/26 को पेश हो।

B10
६

21/4/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उच.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 14/5/26 को पेश हो।

B10
६

14/5/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी
मद्य स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता
वादी मद्य स्वयं वादी को बार-बार आवाजे
दिलवाई गई। समय साँच 5:00 PM हो
चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता
क्षम तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
वादी मद्य स्वयं वादी अनुपस्थित रहने
पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) यावली